

न्यायालय तहसीलदार, हमीरगढ, जिला-भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या 01/17

अनवान

पटवार हल्का र-बन्पगेज बनाम श्री इरगाइल श/0 खुद्राबहा पिनारा

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 24/3/17

पत्रावली आज मुकाम ..... हमीरगढ ..... पर पेश हुई। मामला इस प्रकार है कि ग्राम ..... र-बन्पगेज ..... की आराजी नम्बर ..... 752 ..... रकबा ..... 0-02 ..... बिलानाम / चारागाह / रास्ता की भूमि पर श्री ..... इरगाइल ..... पिता ..... खुद्राबहा ..... जाति ..... पिनारा ..... मुलजमर निवासी ..... र-बन्पगेज ..... के द्वारा नाजायज कब्जा करने से पटवारी हल्का ..... के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को नियमानुसार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में अतिक्रमी उपस्थित/अनुपस्थित है। अतिक्रमी का अतिक्रमण होने की ताईद स्वयं /अन्य उपस्थित व्यक्तियों से की गई जिसे उक्त भूमि पर अतिक्रमी का अतिक्रमण होना सिद्ध पाया गया।

बावजूद सूचना के अतिक्रमी अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

अतिक्रमी की ओर से अपना नाजायज कब्जा पुराणा होने की ताईद नहीं की गई है और इस कब्जा के नियमन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे अतिक्रमी का कब्जा नियमन योग्य नहीं पाया गया। साथ ही अपना कब्जा वैध होने के सबूत पेश करने में भी अतिक्रमी असफल रहा। अतः अतिक्रमी का नाजायज कब्जा (अतिक्रमण) निर्धारित दिनांक 01.01.2000 के बाद का माना जाता है जो कि नियमन योग्य नहीं है।

अतः ग्राम र.व.प.प.प. की आराजी नं. 752 रकबा ०-०2 से अतिक्रमी श्री इ.म.ई.ल. पिता र.व.प.प.प. पिता जाति र.प.प.प.प. निवासी र.व.प.प.प. को बेखदखल किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा शास्ति स्वरूप वार्षिक लगान न्यूनतम 1 रूपयें मानते हुए लगान 1 का पचास गुणा से 50/- रूपयें की शास्ति आरोपित की जाती है। खड़ी फसल को जप्त सरकार कर नीलामी कार्यवाही की जावें। बाद नीलामी कार्यवाही, बेदखली तथा वसूली हेतु पटवारी हल्का को एवं मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावें।



कृषि एवं आजीविका 24/3/17 को सरे ईजलास सुनाया गया।

वर्ष 2017-18  
रा.ले. 4 पेज नं. 1 ति. ...  
रूपयें ...

P  
त. रा. लेखाकार

Om  
तहसीलदार हमीरगढ़